संख्याः-595/एक-10-2025

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,
उ0प्र0, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 28 मई, 2025

विषयः राहत आयुक्त कार्यालय में पूर्व से संचालित एकीकृत आपदा नियन्त्रण केन्द्र के कॉल सेन्टर पर होने वाले व्यय एवं विभिन्न आपदाओं से पीडित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली राहत सहायता के लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण सेवाओं के सापेक्ष भुगतान किये जाने तथा राहत आयुक्त कार्यालय के माध्यम से संचालित सी0यू0जी0 नम्बरों एवं ई0ओ0सी0 के कन्ट्रोल रूम में संचालित लैंडलाइन के बिलों के भुगतान हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की कैपिसिटी बिल्डिंग मद से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-8250/रा0आ0का0/कन्ट्रोल रूम/2025-26, दिनांक 06.05.2025, पत्र सं0-8176/रा0आ0का0/श्रीट्रान पत्रा0/2025-26, दिनांक 18.04.2025 एवं पत्र सं0-8149/रा0आ0का0/टेलीफोन पत्रा0/2025-26, दिनांक 08.04.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राहत आयुक्त कार्यालय में पूर्व से संचालित एकीकृत आपदा नियन्त्रण केन्द्र के कॉल सेन्टर पर होने वाले व्यय एवं विभिन्न आपदाओं से पीडित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली राहत सहायता के लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण सेवाओं के सापेक्ष भुगतान किये जाने तथा राहत आयुक्त कार्यालय के माध्यम से संचालित सी0यू0जी0 नम्बरों एवं ई0ओ0सी0 के कन्ट्रोल रूम में संचालित लैंडलाइन के बिलों के भुगतान हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार राज्य आपदा मोचक निधि की कैपिसिटी बिल्डिंग मद से कुल धनराशि रू0 2,18,65,680/- आवण्टित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

(A) एकीकृत आपदा नियन्त्रण केन्द्र (कन्ट्रोलरूम) के संचालन एवं नियंत्रण हेतु आवश्यक सेवाएं

क्र0सं0	पदनाम	पदों की सं0
1	2	3
1	कॉल सेन्टर एजेंट्स (टेलीकालर)	18
2	सुपरवॉइजर	1
3	ग्राफिक डिजाइनर	1
4	एम0टी0एस0	05

1- इस वित्तीय वर्ष (2025-26) हेतु एकीकृत आपदा नियन्त्रण केन्द्र (कन्ट्रोलरूम) के संचालन एवं नियंत्रण हेतु आवश्यक सेवाओं को जारी रखने के लिए निम्नानुसार धनराशि की आवश्यकता होगी-

क्र0	पदनाम	पदों की सं0	लागत (रू)	लागत/प्रति माह (रू)
1	2	3	4	5
1	कॉल सेन्टर एजेंट्स (टेलीकालर)	18	18,000/-	3,24,000/-
2	सुपरवॉइजर	1	40,000/-	40,000/-
3	ग्राफिक डिजाइनर	1	35,000/-	35,000/-
4	एम0टी0एस0	05	15,000/-	75,000/-

योग		4,74,000/-
आवश्यक साफ्टवेयर, पी0एफ0, ई0एस0आई0सी0, सर्विस चार्ज एवं सेंट्रल एवं स्टेट जी0एस0टी0 आदि का अतिरिक्त व्यय जोडकर प्रतिमाह होने वाला कुल व्यय		7,15,000/-
वार्षिक आधार पर होने वाला कुल व्यय		रू0 85,80,000/-

2- एकीकृत आपदा नियन्त्रण केन्द्र (कन्ट्रोलरूम) के संचालन हेतु आवश्यक उपकरण, हार्डवेयर, इन्टरनेट, डी0टी0एच0 आदि आवश्यक सेवा पर होने वाला वार्षिक व्यय-

क्र0सं0	व्यय किये जाने वाले मद/कार्य का विवरण	वार्षिक आधार पर होने वाला अनुमानित व्यय (रू0)
1	इन्टरनेट नेटवर्क के लिए ब्राडबैंड कनेक्शन पर होने वाला व्यय।	60,000/-
2	10 टेलीवीजन सेट हेतु डी0टी0एच0 सेवा।	36,000/-
3	वीडियो कान्फ्रेन्सिंग करने हेतु साफ्टवेयर/जूम ऐप की सेवा।	85,000/-
4	कंट्रोलरूम के सुदृढीकरण हेतु आवश्क उपकरण यथा कम्प्यूटर, प्रिन्टर, स्कैनर, फोटोकापियर आदि की खरीद तथा इनके संचालन व अनुरक्षण पर होने वाला अन्य व्यय।	15,00,000/-
	कुल धनराशि	16,81,000/-

3- राहत वेब पोर्टल के संचालन हेतु होने वाला व्यय (माह अप्रैल, 2025 से जून, 2025 तक के लिए)

क्र0सं0	व्यय किये जाने वाले मद/कार्य का विवरण	अनुमानित व्यय (रू0)
1	राहत वेब पोर्टल के संचालन हेतु सिक्योरिटी ऑडिट आदि आवश्यक सेवाओं एवं एन0आई0सी0 के माध्यम से कार्यकर मैनपावर के मानदेय हेतु एन0आई0सी0 को किया जाने वाला भुगतान (माह अप्रैल, 2025 से जून, 2025 तक के लिए)	रू0 11,00,000/-

कन्ट्रोल रूम संचालन हेतु होने वाला कुल वार्षिक व्यय-	रू0 1,13,61,000/-

(B) राहत आयुक्त द्वारा राहत आयुक्त कार्यालय में संचालित ई0ओ0सी0 में सी0यू0जी0 नम्बरों एवं लैंडलाइन के बिलों के भुगतान हेतु होने वाले व्यय का निम्नवत विवरण उपलब्ध कराते हुए धनराशि स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:-

क्र0	टेलीफोन न0	मासिक भुगतान की जाने वाली धनराशि (लगभग) रूपये	माह अप्रैल 2025 से माह मार्च 2026 (कुल 12 माह) तक की अनुमानित धनराशि, रूपये में
1	0522-2235121	390	4,680
2	0522-2217721	16,000	1,92,000
3	1801-180-5222 (सी0यू0जी0)	8,00,000	96,00,000

	कुल धनराशि	97,96,680

(C) राहत आयुक्त द्वारा आपदा पीडित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली अहेतुक सहायता के लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण सेवाओं के सापेक्ष श्रीट्रॉन इण्डिया लि0 को भुगतान किये जाने हेतु एस0डी0आर0एफ0 से निम्नानुसार भुगतान किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:-

क्र0सं0	सेवा का नाम	दर (रू0)	जी0एस0टी0 (18 प्रतिशत)	अनुमानित कुल व्यय (रू0)
1	सब-एयूए लाइसेंस फी (02 वर्ष के लिए मान्य)	3,00,000	54,000	3,54,000
2	सब-एयू0ए0 आधार ऑथेन्टिकेशन/डेमोग्राफिक प्रति ट्रान्जेक्शन ट्रान्जेक्शन चार्ज (अनुमानित लाभार्थी 20 लाख	0.15	18%	3,54,000
	कुल योग			7,08,000

महायोग (रू0 1,13,61,000/- + रू0 97,96,680+ रू0 7,08,000) = रू0 **2,18,65,680/-**

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 06.05.2025 में प्राप्त संस्तुति के क्रम में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 22-05-2025 में प्राप्त अनुमोदन के दृष्टिगत राहत आयुक्त कार्यालय में पूर्व से संचालित एकीकृत आपदा नियन्त्रण केन्द्र के कॉल सेन्टर पर होने वाले व्यय एवं विभिन्न आपदाओं से पीडित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली राहत सहायता के लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण सेवाओं के सापेक्ष भुगतान किये जाने तथा राहत आयुक्त कार्यालय के माध्यम से संचालित सी0यू0जी0 नम्बरों एवं ई0ओ0सी0 के कन्ट्रोल रूम में संचालित लैंडलाइन के बिलों के भुगतान हेतु उपरोक्त विवरणानुसार राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से धनराशि कुल रू0 2,18,65,680/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबंध-</u>

(1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(4) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईधन/मरम्मत/ अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2026 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2026 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये है अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 2,18,65,680/- (रूपये दो करोड़ अट्ठारह लाख पैसठ हजार छह सौ अस्सी) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Digitally signed by
SHAILENDRA MANI TRIPATHI
Date: 28-05-2025 16:28:17
(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या:-595(1)/एक-10-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राज्य आपदा प्रवन्धन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, वजट आवंटन (ई-वजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-29/05/2025

प्रेषण संख्या:- 595
आवंटन आदेश संख्या:- 001-595
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरि0 वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं0 , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	21865680 63686582	21865680 63686582
	योग	वर्तमान प्रगामी	21865680 63686582	21865680 63686582

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ अठारह लाख पैंसठ हजार छ: सौ अस्सी
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छ: करोड़ छत्तीस लाख छियासी हजार पाँच सौ बयासी

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी